न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2017/00371 (343/2017) 223 आरटीएक्ट

सोहनलाल पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी नैयासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. पेमाराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी नैयासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
2. हनुमान पुत्र आदुराम जाति जाट निवासी लाड़म तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. शारदा पत्नी बहादुरसिंह जाति जाट निवासी नैयासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. लाछी पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी नैयासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
5. सुगनी पुत्री धन्नाराम जाति जाट निवासी नैयासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर, जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्र. सं. 105/2010 बअनवानी सोहनलाल बनाम पेमाराम आदि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2

श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 5

निर्णय दिनांकः–08.08.2019

1. उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी जरई रोही मौजा नैयासर तहसील रावतसर की भूमि के संबंध में एक अर्जीदावा अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट में प्रस्तुत किया। अर्जीदावा में प्रश्नगत भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

को संयुक्त खाता की भूमि होने के आधार पर उसके हिस्से में आने के कारण उक्त भूमि में वादी का नाम तकसीम कर खाता कायम करने तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी संख्या 2 ने काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया और कथन किया कि भूमि बंटवारे में अपीलाण्ट को नहीं आई है प्रश्नगत भूमि में से 24 बीघा भूमि उसकी खरीदशुदा भूमि है। रेस्पोडेण्ट का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेण्ट उस पर ढाणी बनाकर निवासी कर रहा है। अपीलाण्ट ने वाद में सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। वाद खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायायल ने दावा एवं काउण्टर क्लेम के आधार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय गैर कानूनी उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि कुल 28.551 है. भूमि है जिसमें से 12 बीघा 13 बिस्वा भूमि उसकी स्वयं के हिस्से की एवं 25 बीघा 13 बिस्वा बारानी भूमि जरिये दस्तबरदारी प्राप्त हुई है। इस प्रकार 37 बीघा 19 बिस्वा भूमि उसके कब्ज काश्त में है जो दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित हैं। तनकी नं. 1 में काउण्टर क्लेम के तथ्य साबित नहीं थे। तनकी नं. 1 का कोई विश्लेषण व विवेचन नहीं किया गया। मातहत अदालत ने तनकी सं0 1 वादी का वाद तो सिद्ध मान लिया परन्तु अनुतोष रेस्पोडेण्ट को दे दिया गया है। तनकी नं. 1 व 3 एकदूसरे के विपरीत थी। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दूषित है। काउण्टर क्लेम के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वादी का कब्जा उत्तर दिशा में था पर उत्तर की भूमि दूसरे को दे दी। लाछी एवं सुगना का नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है उनको पक्षकार नहीं बनाया। कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने के बावजूद भी अंतिम डिक्री जारी कर दी गई। राज0 काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। काउण्टर क्लेम एवं बंटवारानामा के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। वादी के अधिवक्ता ने कहा कि रेवेन्यू केस में समय बहुत लगता है रोज आने की जरूरत नही है आवश्यक होने पर बुला लिया जावेगा। लेकिन वादी के अधिवक्ता ने वादी को कोई सूचना नहीं दी। उसके द्वारा अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता द्वारा दुबारा सम्पर्क करने पर पता चला कि निर्णय हो चुका है जिस पर तुरंत प्रभाव से यह अपील प्रस्तुत कर दी है अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 1994 आरबीजे पेज 225, 1998 आरबीजे पेज 626, 1997 आरबीजे पेज 558, 2002 आरबीजे पेज 414, 2011 (1) आरआरटी पेज 229, 2004 आरबीजे पेज 207, 2017 आरआरडी पेज 679, 2011 (2) सीसीसी पेज 13 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.12.2015 को पारित किया गया। अपील दिनांक 19.07.2017 को पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में इनकी उपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है। 21 माह के विलम्ब का कोई यथोचित कारण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा वादी का था जिसमें सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाना आवश्यक था जो जो वादी की ही जिम्मेदारी थी ये जिम्मेदारी प्रतिवादी की नहीं है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि खरीद की गई है जिस पर वह काबिज है। जो दावे में आसा पासा बताया गया है उसे स्वीकार कर लिया और उसी अनुसार डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता अपने कथनों के समर्थन में 2017 (1) पेज 117, आरआरटी 2015 (1) पेज 232 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में दावा खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत हुआ था जिसमें जवाब मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत हुआ। तनकीयात बनाई गई। दावा का तनकीवार निर्णय किया गया है जो अपूर्ण है साथ अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री तथ्य स्पष्ट रूप से निष्कर्ष अंकित नहीं किये हैं कि वादी का दावा डिक्री हुआ है या प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम। विभाजन के दावे में वादी का मुख्य विवाद उसकी खातेदारी की भूमि में कब्जे की दिशा को लेकर विवाद था जो निर्णय से स्थिति स्पष्ट होती है। तनकी नं. 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णित की है जबकि तनकी नं. 3 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की है जो विरोधाभाषी है। विभाजन का दावा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होने के बावजूद प्राथमिक डिक्री नहीं बनाई गई है। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव नहीं मंगवाये गये हैं और सीधे ही डिक्री कर दिया गया है वह भी अस्पष्ट है। विभाजन के दावे में सभी सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायायल का अपीलधीन निर्णय निरस्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विलेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2015 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित है कि सभी सह खातेदारों को वाद में पक्षकार बनाकर प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगाकर एवं विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियां प्राप्त होने पर उन आपत्तियों का निस्तारण करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार द नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

08/8/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official